RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३] सोमवार, जानेवारी २३, २०१७/माघ ३, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित ३ जनवरी, २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०१७।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १८८८ का ३ ।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १८८८ का ३ की धारा ९२ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ९२ के, खण्ड (घ घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

"(घ घ-१) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, निगम की मंजूरी से और राज्य सरकार के अनुमोदन से, स्वर्गीय श्री. बालासाहेब ठाकरे के स्मारक का निर्माण करने के प्रयोजन के लिये संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक नामक संस्था को, निगम से संबंधित स्थावर संपत्ति, अर्थात् सीटीएस/एफपी क्र. ५०१, ५०२ तथा १४९५ माहीम विभाग, उसपर स्थित संरचना के साथ, के पट्टे की मंजूरी, ऐसे किराए पर, जिसमें, ऐसे पट्टे की मंजूरी के लिये प्रिमियम, किराया या अन्य प्रतिफल बाजार मूल्य से कम हो और राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन दे सकें ; "। सन् १८६० का २१।

वक्तव्य।

धारा ९२ (ग ग) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, प्रतिफल, जिसके लिये, किन्ही स्थावर संपत्ति या निगम से संबंधित कोई अधिकार, विक्रय, पट्टे पर दिया या अन्यथा अंतरित किया जा सकें, ऐसे प्रिमियम, किराया या अन्य प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम नहीं होगा। तथापि, धारा ९२ (घ घ) के उपबंधों के अनुसार, उस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, और राज्य सरकार के अनुमोदन से आयुक्त, निगम से संबंधित स्थावर संपत्ति के पट्टे की मंजूरी, निगम के अधिकारियों तथा सेवकों द्वारा अनन्य रुप से बनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, या महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा तथा शिक्षा प्रयोजनों के लिये अनन्य रुप से लोक न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास या कंपनी अधिनियम, १९५६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सार्वजनिक शौचघर, मूत्रालय तथा समान सुविधाओं या विष्ठा से संबंधित प्रक्रियाकरण या कूडा-कचरा के अन्य मैले मामलों के लिये संयंत्र की संरचना के प्रयोजनों के लिये किन्हीं व्यक्ति या व्यक्ति, जो निगम के किसी विकास योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बेघर हो गया है या निगम के किसी विकास योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बेघर हुये व्यक्ति द्वारा अनन्य रुप से बनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था को ऐसे दर पर, जो ऐसे पट्टे की मंजूरी के लिये प्रिमियम, किराये या प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम हो और धारा ४६१ के अधीन बनाये गये उप-विधि द्वारा उपबंधित किया जाये, ऐसे निबंधनों के अध्यधीन दी जायेगी।

२. इन स्मारकों का विशेष महत्त्व, प्राप्त लोकहित तथा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये स्वर्गीय श्री. बालासाहब ठाकरे के संस्मरण में एक स्मारक निर्माण करना इष्टकर समझा गया है। इसलिए, आयुक्त, निगम की मंजूरी और राज्य सरकार के अनुमोदन से, बालासाहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था के स्मारक के लिये, निगम से संबंधित स्थावर संपत्ति जैसे कि, सी टी एस/एफ पी क्रमांक ५०१, ५०२ तथा १४९५, माहीम विभाग, उस पर की संरचना के साथ, ऐसे दर पर, ऐसी पट्टे की मंजूरी के लिये जो प्रिमियम, किराया या अन्य प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम हो और राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन के पट्टे की मंजूरी, दे सकेगा, का उपबंध करना, इष्टकर हैं।

तथापि, अधिनियम के वर्तमान उपबंध, संपत्ति के ऐसे पट्टे की ऐसी मंजूरी की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिये, उक्त प्रयोजन के लिये उक्त धारा ९२ में यथोचित संशोधन करना, इष्टकर समझा गया है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ३ जनवरी, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.